



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 02/05/2024, दिनांक 14.12.2024

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग - मध्य प्रदेश शासन हेतु शिशु रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन हेतु

रिक्ति विवरण का संशोधन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः प्रारम्भ होने की सूचना

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.01.2025 (दोपहर 12:00 बजे तक)

आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रेषित करने की अंतिम तिथि 07.02.2025 (शाम 06:00 बजे तक)

- 01 आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - मध्य प्रदेश शासन हेतु शिशु रोग विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 05/2024-Specialist Public Health 2024 दिनांक 24.07.2024 को आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> जारी किया गया था।
- 02 सामान्य प्रशासन विभाग का समविषयक परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुक्रम में विभागीय भर्ती नियम में जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 08 जुलाई 2024 एवं प्रांतीय संविदा चिकित्सक संघ द्वारा दायर याचिका क्रमांक 29604/2024 में दिनांक 29.07.2024 को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में विज्ञापन में विज्ञापित रिक्ति विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश शासन के संविदाकर्मियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD
42	20	40	34	23	159	21	10	20	17	12	15	7	14	12	8	3	2	3	2
अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./ एक दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13 % के आधार पर जारी किया जाना है। इस संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा अधिकारियों के पदों हेतु मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13 % का पद विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-																			
मुख्य भाग (87%)																			
42	20	40	18	23	143	21	10	20	9	12	15	7	14	6	8	3	2	3	2
प्रावधिक भाग (13%)																			
16*	-	-	16	-	16	8*	-	-	8	-	6*	-	-	6	-	-	-	-	-
* काल्पनिक																			
Abbreviations: UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability																			

विशेष टीप :- संविदाकर्मियों हेतु देय आरक्षण तथा आयु-सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश शासन तथा उसके उपक्रमों में कार्यरत संविदाकर्मियों हेतु ही देय है।

03 संविदाकर्मियों हेतु देय आरक्षण एवं आयु-सीमा में छूट के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से

जो कम हो), संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने के पश्चात या नियुक्ति प्राप्त कर लेने (ज्वाइनिंग) के उपरांत उन्हें पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।

संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित संविदा सेवक पात्र होंगे :-

- I. आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। उसे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा;
- II. वह इन नियमों के अधीन नियमित पदों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव पूर्ण करता हो;
- III. यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के पश्चात् जो 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो, आवेदन कर सकेगा;
- IV. यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी,
- V. किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो ;
- VI. नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में, संविदा अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा;
- VII. संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, इस हेतु नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण किया जा सकेगा;
- VIII. संविदा अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की उसे विहित अधिकतम आयु-सीमा में छूट की पात्रता होगी। आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- IX. संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते। रिक्त रहे पद कैरीफारवर्ड नहीं किए जाएंगे जो संविदा अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए आरक्षित है।
- X. नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।"

04 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने संबंधित निर्देश :-

- I. उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा पुनः प्रारम्भ की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र दिनांक 27.12.2024 से 26.01.2025 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in एवं <https://mppsc.mp.gov.in> पर जमा किए जा सकते हैं। उक्त अवधि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 31.12.2024 से 28.01.2025 (दोपहर 12:00 बजे तक) त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक अभिलेख संलग्न कर आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 07.02.2025 (सायं 6:00 बजे तक) निर्धारित की जाती है।
- II. विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के साथ ही नवीन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को त्रुटिसुधार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। नवीन आवेदकों के साथ ही पूर्व में आवेदन कर चुके ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो संविदा सेवक हैं उन्हें इस विज्ञप्ति के परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रारूप में संविदा सेवा का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ अपने समस्त अभिलेखों का दोबारा नवीन सेट बनाकर निर्धारित तिथि 07.02.2025 (सायं 6:00 बजे)

तक पुनः आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।


- III. विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाए पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि 07.02.2025 (शाम 06:00 बजे तक) आयोग में जमा कराना सुनिश्चित करें। डाक विभाग या अन्य निजी माध्यम से भेजे गए आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् आयोग को प्राप्त होने पर आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे।
- IV. विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके वे अभ्यर्थी जो अपने भरे हुए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का त्रुटिसुधार एवं संविदा सेवा आदि की जानकारी नहीं देते हैं, तो उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने एवं आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् इस विज्ञापन हेतु उनके द्वारा पूर्व में आयोग को प्रस्तुत किया गया आवेदन चयन प्रक्रिया हेतु स्वीकार किया जाएगा।

05 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 05/2024-Specialist Public Health 2024 दिनांक 24.07.2024 का आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> पर अवलोकन करें। अभ्यर्थी अभिलेख प्रेषण के पूर्व मूल विज्ञापन में उल्लेखित निर्देशों का पालन करते हुए तदनुसार अभिलेख भेजे।

06 आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (1) संविदा सेवा अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश एवं अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1
- (2) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -2

07 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> पर उपलब्ध है।


उप सचिव
06

परिशिष्ट-1

विज्ञापनों में संविदा नियुक्त चिकित्सकों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु संलग्न "संविदा सेवा अनुभव प्रमाण-पत्र" विभाग प्रमुख कार्यालय द्वारा जारी किए जाने हैं, जिनके आधार पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी को संविदा हेतु 50 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए अर्हता निश्चित करेगा।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय उनके अधीनस्थ कार्यालयों में संविदा पर, चिकित्सक / पीजी चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं अथवा कार्यरत रहे हों, चिकित्सकों को संलग्न संविदा सेवा अनुभव प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे:-

क्र	विभाग/कार्यालय	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी	रिमार्क
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्तर एवं जिले स्तर पर जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा की गई संविदा नियुक्ति के चिकित्सकों हेतु भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल द्वारा परीक्षण उपरांत अनुभव प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।
2.	गैस राहत एवं पुर्नवास	संचालक, गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग	
3.	जेल विभाग	जेल महानिदेशक जेल द्वारा नामांकित अधिकारी	विभाग के अधीन संस्थाओं / जिले के अधीन संस्थाओं में कार्यरत चिकित्सकों का विवरण पूर्ण परीक्षण उपरांत जिले स्तर के अधिकारी द्वारा विभाग प्रमुख कार्यालय को मय अभिलेख प्रेषित किया जावेगा, इसके आधार पर विभाग प्रमुख संविदा सेवा अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।
4.	गृह विभाग	पुलिस महानिरीक्षक, द्वारा नामांकित अधिकारी	
5.	श्रम विभाग	संचालक, म०प्र० राज्य बीमा सेवायें, इंदौर	
6.	अन्य समस्त विभाग	राज्य स्तर पर विभाग प्रमुख द्वारा	
7.	समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	संबंधित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय से परीक्षण उपरांत प्रकरण संचालक, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित किया जाएगा।

संलग्न - संविदाकर्मियों हेतु संविदा सेवा का अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

(संबंधित विभाग के राज्य विभागीय कार्यालय का नाम)

क्रमांक

दिनांक

संविदा सेवा अनुभव प्रमाण-पत्र

राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुक्रम में प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिकारी, संविदा नियुक्ति अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी/पीजी चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं / रहे हैं:-

क्र	चिकित्सक का विवरण	विवरण	रिमार्क
1.	चिकित्सक का नाम		
2.	प्रथम शैक्षणिक योग्यता एम०बी०बी०एस० उत्तीर्ण वर्ष		
3.	पीजी योग्यता- यदि पीजी डिग्री/डिप्लोमाधारी हैं - एवं उत्तीर्ण वर्ष		
4.	पद नाम जिस पर संविदा पर नियुक्त हुए		
5.	म०प्र० मेडिकल कॉसिल में पंजीयन क्रमांक		
6.	संविदा पर नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक		
7.	प्रथम पद स्थापना स्थल		
8.	संविदा सेवा में कार्य ग्रहण करने का दिनांक		

निरंतर.....

डॉ की संविदा सेवा की कार्य अवधि -

क्र	पदनाम	पदस्थापना स्थल	कार्यग्रहण करने का दिनांक	किस दिनांक तक कार्य संपादित किया गया	प्रदान किया गया मानदेय	रिमार्क/पदस्थापना संशोधन आदेश यदि होतो /यदि निरंतर कार्यरत नहीं रहे तो अवकाश स्वीकृति आदेश संलग्न किया जाए अथवा अनुपस्थिति अवधि का लेख किया जाए।
1.						
2.						
3.						

- उपरोक्तानुसार डॉ द्वारा..... विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति अंतर्गत कार्यरत रहते हुए संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष.....माह.....दिवस की सेवा की गई। उक्त अवधि में कोई अनाधिकृत अनुपस्थिति नहीं थी। (यदि अनुपस्थिति अवधि है तो किस दिनांक से किस दिनांक तक तक (अंकित करें)
- डॉ द्वारा.....विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति अंतर्गत कार्यरत रहते हुए संविदा पीजी चिकित्सक के पद पर वर्ष.....माह.....दिवस की सेवा की गई। उक्त अवधि में कोई अनाधिकृत अनुपस्थिति नहीं थी। (यदि अनुपस्थिति अवधि है तो किस दिनांक से किस दिनांक तक तक (अंकित करें)
- यह प्रमाणित किया जाता है कि संविदा चिकित्सक के रूप में इनके विरुद्ध शिकायत/जाँच का प्रकरण प्रचलित अथवा दर्ज नहीं है। अथवा पूर्व में इन्हें गंभीर शिकायत/जाँच उपरांत संविदा सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण अभिलेखों के परीक्षण उपरांत जारी किया गया है।
- अतः संविदा चिकित्सक की अनाधिकृत अनुपस्थिति के अतिरिक्त कुल सेवा अवधि सेवा अवधि (अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि घटाते हुए) चिकित्सा अधिकारी एवं/अथवा पीजी चिकित्सक के रूप में वर्ष.....माह..... दिवस है।

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख
पदमुद्रा सहित

परिशिष्ट-2

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. शिशु रोग विशेषज्ञ के पद के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.01.2025 तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जाँच में यह पाया जाता है कि आवेदक ने वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को अर्जित की है तो उसकी उम्मीद्वारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा। अर्हता से संबंधित समस्त योग्यताओं तथा सुसंगत दस्तावेजों की स्पष्ट स्व-हस्ताक्षरित प्रति निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में भिजवाने की सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की है।
2. ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.01.2025 तक या उसके पूर्व का, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीद्वारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी।
6. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही समस्त आवेदकों को अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि की हार्ड कॉपी की स्व-प्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। आयोग को दस्तावेज भेजने की तिथि तक किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा

संलग्न दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट प्रपत्र - 01
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक:- 05/2024-Specialist Public Health 2024 दिनांक 24.07.2024

पद का नाम :- शिशु रोग विशेषज्ञ

आवेदक का नाम :-

रोल नम्बर :-

स.क्र.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संचयी योग
1.	उपस्थिति पत्रक - 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	व्यक्तिगत विवरण - 01 मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति (05 छायाप्रति पृथक से प्रस्तुत करना है एवं छायाप्रति में नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	अनुप्रमाणन फार्म - 03 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (डिबार) नहीं होने संबंधी) - 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	हाईस्कूल की अंकसूची ।	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	हायर सेकण्डरी की अंकसूची ।	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	MBBS या समतुल्य अहर्ता एवं स्नात्कोत्तर योग्यता की समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि।	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद् का स्थाई पंजीयन की प्रति । (दिनांक 26.01.2025 तक जारी)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र । (दिनांक 26.01.2025 तक जारी)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति । (प्रमाण पत्र में गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है ।) (दिनांक 26.01.2025 तक जारी)	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र । विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र । (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है । अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.01.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र- 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.01.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 का वैध ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक

14.	दिव्यांग होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26.01.2025 का या पूर्व की तिथि का जीवित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे)	पृष्ठ क्रमांक से तक	
15.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक	
16.	मध्यप्रदेश शासन की संविदा सेवा में कार्यरत संविदाकर्मियों हेतु दिनांक 26.01.2025 तक जारी अनुभव प्रमाण-पत्र (शुद्धिपत्र क्रमांक 02/09/2024 के परिशिष्ट 01 में दिए गए प्रारूप में)	पृष्ठ क्रमांक से तक	
17.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति । अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.01.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति संलग्न करें ।	पृष्ठ क्रमांक से तक	
18.	मध्य प्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र -01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक	
19.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.01.2025 अथवा उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि के विवरण पत्रक की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक से तक	
20.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र । कोई एक (आधार-कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस)	पृष्ठ क्रमांक से तक	
21.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति । (03 प्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक	
22.	समकक्ष विदेशी अर्हता धारित होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा में कुल पूर्णांक के आधार पर प्रतिशत की पुष्टि हेतु शपथ-पत्र की प्रति।		
कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या :-		

आवेदक के हस्ताक्षर

* उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्टि-दो में यथा निर्धारित तिथियों या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है । इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जाएगी।